मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक प्रोग्रामर, स्टेनो टायपिस्ट तथा सहायक वर्ग-3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक **03**/स्थापना/2015/ 30.12.2015
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 19.02.2016
सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु अभिलेख सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03.03.2016

महत्वपूर्ण

1- **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक** 20.01.2016 **(दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक** 19.02.2016 **(रात्रि 12:00 बजे) तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

दूरभाष :- 0731-2702689

ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

2- **सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद उस आवेदन पत्र की प्रति के साथ अपनी पात्रता से संबन्धित सभी अभिलेख संलग्न कर दिनांक** 03.03.2016 **को सायं 05:30 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त दिनांक तक उपरोक्तानुसार जमा नहीं किए जाएंगे उनके अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी तथा इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

3- **ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी का कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा ।**

4- **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में** 30.01.2016 **से** 21.02.2016 **तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा । आवेदक त्रुटि सुधार हेतु । आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई डी की प्रविष्टि करें क्योंकि आयोग द्वारा आवश्यक सूचनाए** SMS **या ई-मेल से ही दी जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी।**

5- **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**

एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग , कार्यालय में रिक्त निम्न पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु आरक्षित पद				रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद
		अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. व.	
सहायक प्रोग्रामर	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टेनो टायपिस्ट	04	02	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायक वर्ग-3	22	13	01	05	03	04	-	02	01	02	01	01	01	
(प्रत्येक पद हेतु पृथक- पृथक आवेदन भरें)														

दो **पद का विवरण**

01 (अ) **पद का नाम** : सहायक प्रोग्रामर

(ब) **श्रेणी** : तृतीय श्रेणी

(स) **पद स्थिति** : अस्थायी

(द) **वेतनमान** : रुपये 9300-34800+3600 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।

(इ) **अनिवार्य अर्हता** : बी. ई. कंप्यूटर साइंस/ बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन / बी.ई. आई.टी.

02 (अ) **पद का नाम** : स्टेनो टायपिस्ट

(ब) **श्रेणी** : तृतीय श्रेणी

(स) **पद स्थिति** : अस्थायी

(द) **वेतनमान** : रुपये 5200-20200+1900 ग्रेड पे (+125 विशेष वेतन) तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।

(इ) **अनिवार्य अर्हता** : **(1)** राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/ मण्डल से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण, और

(2) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी शीघ्रलेखन मे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त किसी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण हो :-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी. ओ. ई. ए. सी. सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस प्रबंधन पाठ्यक्रम।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कंप्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" **(COPA)** प्रमाण-पत्र ।

03 (अ) **पद का नाम** : सहायक वर्ग-3

(ब) **श्रेणी** : तृतीय श्रेणी

(स) **पद स्थिति** : अस्थायी

(द) **वेतनमान** : रुपये 5200-20200+1900 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।

(इ) **अनिवार्य अर्हता** : (1) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/ मण्डल से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण, और

(2) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र।

(3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त किसी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण हो :-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी. ओ. ई. ए. सी. सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न आफिस प्रबंधन कार्यक्रम।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कंप्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" **(COPA)** प्रमाण-पत्र ।

तीन **आयु सीमा:** **सहायक प्रोग्रामर हेतु**

21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सहायक वर्ग- 3 तथा स्टेनो टायपिस्ट हेतु

18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आयु संगणना तिथि **01.01.2016**

आयु सीमा में देय छूट के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-1** देखें

चार (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iii) सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पद मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हांकित है अन्य नि:शक्त श्रेणी के आवेदक उक्त पदों हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगें।

(iv) **(अ)** सहायक प्रोग्रामर का पद केवल अनारक्षित श्रेणी हेतु है अत: उक्त पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किया जाएगा तथा उन्हें आयु सीमा में छूट/ उत्तीर्णांक में छूट की पात्रता नहीं होगी।

(आ) स्टेनो टायपिस्ट के पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं है अत: उक्त पद हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किया जाएगा तथा उन्हें आयु सीमा में छूट/ उत्तीर्णांक में छूट की पात्रता नहीं होगी।

(उक्त दोनों पदों हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय की पात्रता रहेगी)

(v) पदों की संख्या परिवर्तनशील रहेगी।

(vi) महिलाओं हेतु आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जाएंगें।

पांच **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छ: <u>महत्वपूर्ण :-</u> **यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन परीक्षा/ कंप्यूटर टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

सात **<u>अधिवार्षिकी आयु :-</u> 60 वर्ष**

आठ **<u>चयन प्रक्रिया :-</u>**

<u>(1) सहायक प्रोग्रामर:-</u>

(अ) गुणानुक्रम में 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(ब) सर्वप्रथम बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(स) बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) उपाधि धारक अभ्यर्थी 10 से कम संख्या में उपलब्ध होने पर बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन) उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन) में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(द) बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) तथा बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन) उपाधि धारक अभ्यर्थी 10 से कम संख्या में उपलब्ध होने पर बी. ई. (आई. टी.) उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बी. ई. (आई. टी.) में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(इ) अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

<u>(2) स्टेनो टायपिस्ट:-</u>

(अ) सभी अभ्यर्थियों की एक प्रश्न-पत्र की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार की होगी।

(ब) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गो हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षण/ शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक जिन सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख प्राप्त होंगें केवल उनके अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

(स) अभिलेखों के परीक्षण के बाद केवल वे अभ्यर्थी जो अर्ह पाये जाएंगे उन्हें कंप्यूटर दक्षता परीक्षण/ शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(द) अंतिम चयन शीघ्रलेखन परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा तथा कंप्यूटर दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

<u>(3) सहायक वर्ग -III:-</u>

(अ) सभी अभ्यर्थियों की एक प्रश्न-पत्र की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार की होगी।

(ब) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गो हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना

तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक जिन सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख प्राप्त होंगे केवल उनके अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

(स) अभिलेखों के परीक्षण के बाद केवल वे अभ्यर्थी जो अर्ह पाये जाएंगे उन्हें कंप्यूटर दक्षता परीक्षण परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(द) अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा तथा कंप्यूटर दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

नौ सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा इंदौर तथा भोपाल स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर की जाएगी। परीक्षा की तिथि, समय सारिणी तथा प्रवेश-पत्र उपलब्धता विषयक सूचना यथा समय पृथक से रोजगार और निर्माण समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी। अर्हताधारी आवेदकों को SMS/ आयोग की वेबसाइट पर सूचित किया जायेगा ।

टीप:-

(1) सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा से संबन्धित आवश्यक जानकारी तथा "प्रेक्टिस माड्यूल" आवश्यक होने पर यथा समय आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा तथा दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(3) सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु **परिशिष्ट-3** का अवलोकन करें

(4) चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र केवल इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. परिवर्तित होता है तो एसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई.डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -1**

(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट -2**

(ii) सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा / दक्षता परीक्षण की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम **परिशिष्ट -3**

सचिव

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यक्ता, तलाक़शुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
विशेष :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(2) **मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/ अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल,परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओ में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगा।**

(3) नि:शक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। **सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट** के पद हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त आवेदक आरक्षण एवं छूटों के पात्र है।

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार :

" 2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमे भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छ: मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किए जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोकतानुसार निर्मुक्ति या अंतरित किए जाने का हकदार होने के लिए अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छ: मास से अनधिक अवधि के लिए सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। "

टीप: भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के संशोधनों के अधीन रहेगी

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-

40/आ/84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) **समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें।**

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) **उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 4) (दो) (1 से 3) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।**

(02) **आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें।**

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **सहायक प्रोग्रामर, स्टेनो टायपिस्ट तथा सहायक वर्ग-3** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mppscdemo.in

2. www.mppsc.com

3. www.mppsc.nic.in

3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र **submit** करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन **submit** करें।

7- आवेदन पत्र **submit** करने के बाद खुलने वाले **popup window** में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 30.01.2016 से 21.02.2016 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

9- केवल सहायक प्रोग्रामर के आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

(1) आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छाया प्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही है (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 03/स्थापना/2015/ 30.12.2015
सहायक प्रोग्रामर , मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
के पद हेतु आवेदन पत्र

प्रति,
सचिव
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक:
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2016 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा। आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रात: 10:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

09- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- **आवेदन शुल्क**

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹500/-	**₹ 1000/-**

टीप: **आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-**

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- 0731-2702689
ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

3- **आवेदन की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.02.2016 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- **(अ) सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद उस आवेदन पत्र की प्रति के साथ अपनी पात्रता से संबन्धित सभी अभिलेख संलग्न कर दिनांक 03.03.2016 को सायं 05:30 बजे तक आयोग आयोग कार्यालय में निम्न पते पर जमा करना अनिवार्य है:-**

सचिव,

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त दिनांक तक उपरोक्तानुसार जमा नहीं किए जाएंगे उनके अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी तथा इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(आ)सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख संलग्न नहीं करने है। किन्तु ऑनलाइन परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :- नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट के पद हेतु केवल न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त आवेदक आरक्षण तथा आयु सीमा में छूटों के पात्र है।**

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है| यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाक़शुदा हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/ छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन

कार्यरत हो, उनको यह परिवचन **(Undertaking)** प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

6- **फोटो पहचान-पत्र :-** ऑनलाइन परीक्षा तथा दक्षता परीक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

1 पासपोर्ट	6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2 मतदाता पहचान पत्र	7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3 ड्रायविंग लायसेंस	8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4 पैन कार्ड	9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5 आधार कार्ड	

8- **ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppscdem.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थी को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम के साथ ही कंप्यूटर दक्षता परीक्षण तथा शीघ्रलेखन परीक्षण से संबन्धित समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppscdem.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित कंप्यूटर दक्षता परीक्षण तथा शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 कंप्यूटर दक्षता परीक्षण तथा शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हों जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

ऐसे अभ्यर्थियों को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो या चल किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किये हों जो गलत और झूठे हों या चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

11 परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी उत्तर-पुस्तिका जमा करने में असफल रहता है।

12 परीक्षा के पूर्व परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को अनुचित रीति से प्राप्त किया हो या प्राप्त करने का प्रयास किया हो

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हतायें:-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षण/ शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-
मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

सहायक प्रोग्रामर/ स्टेनो टायपिस्ट तथा सहायक वर्ग–3 परीक्षा 2015

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

(अ)चयन प्रक्रिया :-

(1) सहायक प्रोग्रामर:-

(अ) गुणानुक्रम में 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(ब) सर्वप्रथम बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) में प्राप्त (अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(स) बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) उपाधि धारक अभ्यर्थी 10 से कम संख्या में उपलब्ध होने पर बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन) उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन) में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(द) बी. ई. (कंप्यूटर साइंस) तथा बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन) उपाधि धारक अभ्यर्थी 10 से कम संख्या में उपलब्ध होने पर बी. ई. (आई. टी.) उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बी. ई. (आई. टी.) में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(इ) अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

(2) स्टेनो टायपिस्ट:-

(अ) सभी अभ्यर्थियों की एक प्रश्न-पत्र की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार की होगी।

(ब) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षण/ शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक जिन सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख प्राप्त होंगें केवल उनके अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

(स) अभिलेखों के परीक्षण के बाद केवल वे अभ्यर्थी जो अर्ह पाये जाएंगे उन्हें कंप्यूटर दक्षता परीक्षण/ शीघ्रलेखन परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(द) अंतिम चयन शीघ्रलेखन परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा तथा कंप्यूटर दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

(3) सहायक वर्ग -III:-

(अ) सभी अभ्यर्थियों की एक प्रश्न-पत्र की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार की होगी।

(ब) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक जिन सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख प्राप्त होंगें केवल उनके अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

(स) अभिलेखों के परीक्षण के बाद केवल वे अभ्यर्थी जो अर्ह पाये जाएंगे उन्हें कंप्यूटर दक्षता परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(द) अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा तथा कंप्यूटर दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

(ब) प्रश्न–पत्र रचना, अंकविन्यास, समयावधि तथा उत्तीर्णांक

ऑनलाइन परीक्षा :– ऑनलाइन परीक्षा में 2–2 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगें । इस प्रकार प्रश्नपत्र कुल 200 अंकों का होगा । प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर अ, ब, स, द होंगे जिनमें से एक उत्तर सही होगा । आवेदकों को सही विकल्प को चिन्हांकित करना होगा । प्रश्नपत्र की अवधि 2:00 घंटे की होगी ।

कम्प्यूटर संचालन तथा शीघ्रलेखन/ मुद्रलेखन दक्षता परीक्षण:– इस परीक्षण में अभ्यर्थी की कम्प्यूटर संचालन तथा शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन संबंधी दक्षता का परीक्षण कम्प्यूटर पर किया जायेगा । दक्षता परीक्षण की अवधि 2:00 घंटे की होगी तथा कुल अंक 200 होंगें ।

ऑनलाइन परीक्षा / **कम्प्यूटर संचालन तथा शीघ्रलेखन/ मुद्रलेखन दक्षता परीक्षण में उत्तीर्णांक:–** परीक्षा / कम्प्यूटर संचालन तथा शीघ्रलेखन/ मुद्रलेखन दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगें । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा उन्हें उत्तीर्ण होने हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

:: पाठ्यक्रम ::

ऑनलाइन परीक्षा	:–		मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान	80 अंक
			सामान्य हिन्दी } उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय	40 अंक
			सामान्य गणित } उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय	40 अंक
			सामान्य अभिरुचि } उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय	40 अंक
			कुल	**200 अंक**
कम्प्यूटर संचालन तथा मुद्रलेखन दक्षता परीक्षण (सहायक वर्ग-3 तथा स्टेनो टायपिस्ट हेतु)	:–	(1)	माइक्रोसाफ़्ट वर्ड में हिन्दी मुद्रलेखन की गति एवं शुद्धता का परीक्षण (यूनीकोड फोंट (Mangal) में की बोर्ड पद्धति से)	100 अंक
		(2)	माइक्रोसाफ़्ट एक्सेल में डाटा प्रविष्ठि, डाटा व्यवस्थापन एवं गणितीय सूत्रों की प्रयोग क्षमता का परीक्षण	50 अंक
		(3)	इन्टरनेट अनुप्रयोग तथा ई–मेल प्रेषण में प्रवीणता का परीक्षण	50 अंक
			कुल	200 अंक
शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षण (स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु)			उक्त परीक्षण में शीघ्रलेखन की गति एवं शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा। (केवल उन अभ्यर्थियों को चयन हेतु विचारित किया जाएगा जो उक्त परीक्षण में सफल होंगें।)	